राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 108/2025

मकसूद अली –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2024 (अनुलग्नक–1) एवं दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी गई है जिसके तहत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.08.2024 द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर उसका मुख्यालय निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निर्धारित किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 27.08.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को एपीओ किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगलाट, ब्लॉक अरनोद, प्रतापगढ़ में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है और दिनांक 17.09.2019 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चण्डवा, ब्लॉक अलसीसर में पदस्थापित है और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 22.08.2024 के आदेश द्वारा अवैध रूप से एपीओ किया गया तथा अब उसके बाद दिनांक 06.12.2024 के आदेश द्वारा उसे दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश आरएसआर के नियम 25–ए का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है क्योंकि आरएसआर के नियम 25–ए में उल्लिखित स्थितियों में से वर्तमान मामले में कोई

शर्त लागू नहीं है। इस प्रकार दिनांक 22.08.2024 का आलौच्य आदेश आरएसआर के नियम 25–ए का घोर उल्लंघन करते हुए एवं बिना प्रशासनिक आवश्यकता पारित किया गया है। मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 04.01.2023 और 03.01.2024 को एक परिपत्र जारी किया था जिसके द्वारा उन्होंने दिनांक 22.02.2024 से स्थानांतरण/एपीओ पर रोक लगा दी थी और उसके बाद से वही परिपत्र अस्तित्व में है और बिना सक्षम स्वीकृति के अपीलार्थी को एपीओ कर दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री से सहमति/अनुमोदन लिए बिना ही आदेश जारी कर दिया क्योंकि आदेश में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री से कोई सहमति/अनुमोदन दिया गया है (अनुलग्नक–4)। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में मुख्य पीठ ने डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राज्य एसबीसी रिट पिटिशन संख्या 10490/2024 के मामले में विवादित आदेश को रद्द कर दिया है क्योंकि यह बिना किसी प्रशासनिक कारण के जारी किया गया था और अपीलार्थी के मामले में भी बिना किसी प्रशासनिक कारण के आधार पर एपीओ किया गया था (अनुलग्नक–5)। इसी तरह की स्थिति में, उर्वशी बैरवा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अधिकरण ने अपील संख्या 3016/2024 में, जिसमें एपीओ किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी ने मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तथा उसके बाद उसे आरएसआर के नियम 25–ए का उल्लंघन करते हुए 400 किलोमीटर दूर स्थान पर पदस्थापित किया गया, जिसमें माननीय अधिकरण ने विवादित आदेश पर रोक लगा दी। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी पहले जिला झुंझुनू में पदस्थापित था, उसके बाद उसे एपीओ कर दिया गया तथा उसने निदेशालय, माध्यमिक में कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा अब उसे जिला प्रतापगढ़ में कि.मी. 550 दूर स्थानांतरित कर दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चण्डवा, ब्लॉक अलसीसर, जिला झुंझुनू में प्रधानाचार्य का पद अभी भी रिक्त पड़ा है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.08.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंडवा, ब्लॉक अलसीसर, झुंझुनू में प्रधानाचार्य के पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलोच्य एपीओ आदेश दिनांक 22.08.2024 प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2024 को आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति प्रदान की गई। अतः आदेश दिनांक 22.08.2024 की अपीलार्थी द्वारा पालना किए जाने के उपरान्त उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम धनजीत सिंह संधू (2014) 15 SCC 144 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसी आधार पर मा0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका संख्या एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13044/2021 सज्जन कुमार यादव बनाम राज्य एवं अन्य को खारिज किया है (अनुलग्नक आर–1)। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (civil) 36717/2017 नम्रता वर्मा

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह निर्धारित किया है कि ''It is not for the employee to insist to transfer him/her and/or not to transfer him/her at a particular place. It is for the employer to transfer an employee considering the requirement. The Special Leave Petition is dismissed." (अनुलग्नक–2) आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रहने के आधार पर पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को छात्रहित तथा राज्यहित में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगलाट, ब्लॉक अरनौद जिला प्रतापगढ में पदस्थापित किया गया है। एपीओ में अपीलार्थी का मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ही रखा गया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 733 / 2022 पुष्कर राज माली राजस्थान राज्य में यह अभिमत प्रदान किया कि नियम–25–क में वर्णित परिस्थितियाँ exhaustive नहीं है अपितु वे सामान्य परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में कार्मिकों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है, जो निम्नानुसार है:–

"Learned counsel for the appellant has also argued that under Rule 25-A of the Rajasthan Service Rules, 1951, the appellant can be kept APO only in certain contingencies and not for the reason that a departmental inquiry has been initiated against him or that he has not been allowed to take charge or on the ground that here is a dispute with regard to his taking over charge at the transferred place. The Government decisions referred in Rule 25-A are not exhaustive rather they are the instances wherein usually a Government servant can be kept under awaiting posting orders.

In view of the aforesaid facts and circumstances, we do notfind any illegality in the judgment and order passed by the writ court. The appeal lacks merit and is dismissed."

साथ ही माननीय अधिकरण के समक्ष पुनः वर्णित किया जाना उचित होगा कि माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 87 / 2024 प्रदीप चौधरी बनाम सरकार तथा अन्य अपील संख्या 1498 / 2024 नवीन प्रकाश जैन बनाम सरकार में भी अपीलार्थी द्वारा एपीओ आदेशों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम–25–के प्रतिकूल तथा स्थानांतरण प्रतिबन्ध में जारी होने के आधार पर चुनौती प्रदान की गई थी। उक्त अपीलों को माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 29.01.2024 एवं आदेश दिनांक 12.04.2024 के द्वारा अपास्त फरमाया गया है (अनुलग्नक आर–4 एवं 5)। इस प्रकार शिकायतों एवं गंभीर परिस्थिति आधार पर कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। अपीलार्थी को भी शिकायतों एवं गंभीर परिस्थिति के आधार पर ही आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा एपीओ आदेश दिनांक 22.08.2024 एवं एपीओ से पदस्थापन आदेश दिनांक 06.12.2024 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.08.2024 द्वारा अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर में कार्यग्रहण कर लिया गया। जिन मामलों में आदेशों की अनुपालना हो जाती है उनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

"22. The doctrine of "approbate and reprobate" is only as pecies of estoppel, it implies only to the conduct of parties. As in the case estoppel of it cannot operate against the provisions of a statute. (vide C.I.T. vs. Mr. P.Firm Muar, AIR 1965 SC 1216).

23. It is settled proposition of law that once an order has been passed, it is complied with, accepted by the other party and derived the benefit out of it, he cannot challenge it on any ground. (Vide Maharashtra State RoadTransport Corporation vs. Balwant Regular Motor Service, Amravati & Ors., AIR 1969 SC 329). In R.N. Gosain vs Yashpal Dhir, (1992) 4 SCC 683, this Court has observed as under:-

"10. Law does not permit a person to both approbate and reprobate. This principle is based on the doctrine of election which postulates that no party can accept and reject the same instrument and that "a person cannot say at one time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only been titled on the footing that it is valid, and then turn round and say it is void for the purpose of securing some other advantage.

अतः सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस आदेश की पालना की जा चुकी हो उसको पालना किये जाने के उपरांत चुनौती प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है, अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 की पालना पूर्ण की गई तथा पालना पूर्ण होने के उपरांत जिस आदेश की पालना पूर्ण की जा चुकी है, उस आदेश को अपास्त किये जाने का अनुतोष माननीय अधिकरण से मांगना किसी भी स्थिति में तर्कसंगत नहीं है, साथ ही पदस्थापन दिनांक 06.12.2024 जारी होने के पश्चात पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 22.08.2024 प्रभाव में नहीं रहा है। अतः इन परिस्थितियों में अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 22. 08.2024 के सम्बन्ध में कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगलाट, ब्लॉक अरनोद, प्रतापगढ़ में प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्र हित में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है और दिनांक 17.09.2019 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चण्डवा, ब्लॉक अलसीसर में पदस्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1991 एस.सी.532) के निर्णय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer order are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is Liable to be transferred from one place to the other, Transfer orders issued by the compentent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer order is passed in violation of executive instructions or orders, the Courts ordinarily should not interfere with the order instead affected party should approach the higher authourities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer orders issued by the Government and its subordinate authourities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

अपीलार्थी प्रधानाचार्य पद धारित कार्मिक है जिसका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश पारित करने हेतु सक्षम अधिकारी है। जारी आदेश नियमानुसार एवं उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य